# राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

**सं.एफ.2(7) डीओपी/ए- II/90** **जयपुर, दिनांक:** 2.2024

## अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम,1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 11 का प्रतिस्थापन.-** राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**11. आयु.-** अनुसूची-1 में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को **21** वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु,-

(i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को,-

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक;

शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर

अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iii) भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारंभिक रूप से नियुक्त किये जाने के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे;

(v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग/ बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vii) राज्य, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम / निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;

(viii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण:-** विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में, उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा;

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह तीन वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है; और

(x) ऐसा व्यक्ति, जो 31.12.2020 को आयु सीमा में था, 31.12.2024 तक आयु सीमा में ही समझा जायेगा।"

**3. नियम 21क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 21क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**21क. परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण.-** (1) आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार दो प्रक्रमों अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों जिन्हें मुख्य परीक्षा के प्रवेश हेतु अर्हित घोषित किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको को उनका अन्तिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिए नहीं गिना जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल संख्या का पंद्रह गुना होगी किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने वही अंक अर्जित किये हों जो निम्नतर रेंज के लिए आयोग द्वारा नियत किये जायें, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा:

परन्तु यदि आयोग कि यह राय हो कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए साधारण मानदण्ड के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो आयोग द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिलित मानदण्ड लागू किया जा सकेगा ताकि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो जाये। इस प्रयोजन के लिए विचार की संख्या-सीमा, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या का पंद्रह गुना तक शिथिल रहेगी। तथापि, मुख्य परीक्षा के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी, केवल संबंधित प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर ही चयन के लिए पात्र होंगे।

**टिप्पण :** इस नियम के प्रयोजन के लिए ''आरक्षित प्रवर्ग'' से ऐसा कोई प्रवर्ग अभिप्रेत है जिसके लिए या तो क्षैतिज या वर्तिक आरक्षण लागू होता है।

3. आयोग ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो किसी भी लिखित प्रश्नपत्र में उपस्थित होने में विफल हो गया है।

4. पाठ्य विवरण वह होगा जो अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है।''

**4. नियम 22 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 22 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के आधार पर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

**5. अनुसूची- I का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची- I के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**''अनुसूची- I**

| क्र. सं. | पद का नाम | प्रतिशत सहित भर्ती की रीति | न्यूनतम अर्हता | पद जिससे पदोन्नति की जानी है | पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सहायक अभियोजन अधिकारी | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि या एकीकृत विधि पाठ्यक्रम में डिग्री (व्यावसायिक)। | - | - | - |

**टिप्पण:** इन नियमों के अधीन नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 के प्रयोजन के लिए सहायक लोक अभियोजक समझा जायेगा।''

**6. अनुसूची- II का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची- II के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुसूची- II

(नियम 21क देखे)

## सहायक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

1. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा स्कीम में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारम्भिक परीक्षा और एक लिखित मुख्य परीक्षा होगी।
2. प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जिसमें 70 प्रतिशत अधिमान विधि प्रश्नपत्र के लिए पाठ्य विवरण में विहित विषयों को दिया जायेगा और 30 प्रतिशत अधिमान हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता परीक्षण को दिया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम चयन के प्रति नहीं गिने जायेंगे।
3. मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे:-

| प्रश्नपत्र | विषय | अंक | समय |
|---|---|---|---|
| I | विधि | 300 | 3 घण्टे |
| II | भाषा<br>1. सामान्य हिन्दी<br>2. सामान्य अंग्रेजी | <br>50<br>50 | 2 घण्टे |

4. प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे:

परन्तु उपरोक्त रूप से नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

5. प्रश्नपत्र- II का मापदण्ड वह होगा जो सीनियर सैकण्डरी स्तर का होगा।
6. लिखित परीक्षा के हर एक प्रश्नपत्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
7. विधि प्रश्नपत्र को, अभ्यर्थियों का दाण्डिक विधि और प्रक्रिया तथा दाण्डिक मामलों में आरोप बनाने के प्रायोगिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, डिजाइन किया गया है।
8. प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

| प्रश्नपत्र | विषय |
|---|---|
| प्रश्नपत्र I- विधि | 1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860;<br>2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872;<br>3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; |

| | |
|---|---|
| | 4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989;<br>5. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012;<br>6.किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015;<br>7. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958;<br>8. आयुध अधिनियम, 1959;<br>9. राजस्थान आबकारी अधिनियम,1950;<br>10. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992;<br>11. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 । |
| प्रश्नपत्र II- भाषा | 1.सामान्य हिन्दी<br>2. सामान्य अंग्रेजी |

टिप्पण: परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा और अभ्यर्थियों को, नियत समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।''

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव।

5/2024